न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षकों तथा दावा अधिकारियों की नियुक्ति

4342. **श्री युवराज** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि श्रमिकों के हितों की विशेष देखभाल के लिए सभी राज्यों में न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अधीन नरीक्षकों तथा दावा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है और यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कितने निरीक्षक और दावा अधिकारी हैं और उन पर प्रति वर्ष कुल कितना खर्च होता ह ;

(ख) क्या कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजूरी दिलाने के लिएमजूरी दरें अधिसूचित की जाती है और यदि हां, तो प्रत्येक राज्य ने कब संशोधित दरें अधिसूचित की थीं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम मजूरी दिलाने की पुरानी प्रक्रिया अव्यावहारिक प्रतीत होती है और यदि हां, तो इस बारे में कौन-सी नयी प्रक्रिया अपनाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 19 और 20 में इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए निरीक्षक तथा दावा प्राधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था है । कृषि के संबंध में इस अधिनियम का कार्यान्वयन मुख्यतया राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है और निरीक्षकों तथा दावा प्राधिकारियों की संख्या और उन पर प्रत्येक राज्य द्वारा किए गए कुल व्यय के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) एक विवरण, जिसमें कृषि श्रमिकों को देय मजदूरी-दरें तथा निमिनन राज्यों में इन दरों के लागू होने की तारीखें दी गई हैं, सभा पटल पर रख दिया गया है [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए** संख्या एल टी 785/77]

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, समय समय पर राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों का प्रभारी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें ।

बिहार को स्वास्थ्य उप-केन्द्रों के लिये विशेष सहायता

4343. **श्री युवराज** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े राज्यों में चिकित्सा की विशेष सुविधा देने के लिये योजनायें तैयार की हैं ;

(ख) क्या बिहार भारत का एक सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है ;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी अधूरे स्वास्थ्य उप-केन्द्रों और कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण पूरा करने के लिये बिहार को विशेष सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब और कितनी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए एक ग्रामीण स्वास्थ्य योजना तैयार की गई है ।

(ख) प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देखा जाये तो बिहार भी पिछड़े राज्यों में आता है ।

(ग) और (घ). उप-केन्द्रों के भवन और कर्मचारियों के क्वार्टर बनाने का कार्य राज्य योजना में शामिल न्यूनतम आवश्यकता कार्य-

क्रम के अन्तर्गत आता है । फिर भी योजना आयोग ने बिहार राज्य में वर्ष 1977-78 के दौरान 700 उपकेन्द्र खोलने के लिये 155.40 लाख रुपयों की व्यवस्था की है ।

Class IV P&T employees of U.P. Circle

4344. SHRI R. D. RAM: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) total number of class IV employees working in each Postal, Telegraph, Civil Engineering, Telephone Division in U.P. Circle, *vis-a-vis* number of persons (i) Scheduled Castes (ii) Scheduled Tribes;

(b) the steps Government intends to take for filling up the vacancies reserved for (i) Scheduled Castes and (ii) Scheduled Tribes in the divisions referred to in (a) above; and

(c) whether complaints with regard to their negligible representation have been brought to the notice of Government in past by the Members of Parliament?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) Information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

(b) All possible steps for filling reserved vacancies are being taken. When there is shortage, the vacancies are notified to the concerned Employment Exchanges including the Central Employment Exchange. Apart from advertisements being issued in the local newspapers, vacancies meant for reserved communities are also intimated to the recognised Associations and Organisations of Scheduled Castes/Scheduled Tribes for sponsoring of suitable candidates.

(c) Yes, Sir. But the representation of SC/ST communities is not negligible. For example, the percentage of SC/ST employees in the P & T Department as on 1-1-76 was 19.4 per cent and 5.4 per cent respectively in class IV posts. (Now group 'D') excluding sweepers.

Benefits to Extra Department Agents

4345. PROF. P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether a system of Extra Department Agents was introduced in the post offices some years ago;

(b) if so, the reasons for doing so and broad details of the working of the said system;

(c) the salary scales and other benefits being paid to such Extra Department Agents; and

(d) the number of hours of their work and whether they are paid on a part time basis while forced to work on almost full time basis?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) and (b). The Extra-Department system has been in existence for over a century in the Indian Post Offices. The system is necessary for operating and extending postal facility in rural and backward areas of the country where full work load for having a departmental post office is not justified. The Extra Departmental employees are required to work for only 2 to 5 hours a day. They are part time employees and are expected to have other source of income.

(c) and (d). They are paid allowances between a minimum of Rs. 75/- P.M. and a maximum of Rs. 155/- P.M. depending upon the average workload of each person and the hours for which they perform duty. They are paid a maximum gratuity upto Rs. 750/- as a terminal benefit subject to satisfaction of certain conditions laid down under the rules and